उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-351/2015/2268/38-1-2015&3508/2013

लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2015

<u>कार्यालय-आदेश</u>

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,2013 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित कतिपय अभ्यर्थियों सहित श्री कुलदीप सिंह चन्देल की नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या-295/2015/1762/38-1-2015&3508/2013, दिनांक: 03 अगस्त, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में मौलिक रूप से नियुक्त करते हुए दिनांक 10.08.2015 से 23.09.2015 तक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु संस्थान में योगदान आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

2- शासन के उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री कुलदीप सिंह चन्देल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला प्रोबेशन अधिकारी के पद पर जनपद-अलीगढ़ में कार्यरत होने के दृष्टिगत विभाग से कार्यमुक्त हेतु आवेदन किया गया। श्री चन्देल के पत्र दिनांक 23.09.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें विभाग से कार्यमुक्त किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत श्री चन्देल को यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28.09.2015 से 11.11.2015 तक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लखनऊ में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु संस्थान में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

राम बहादुर
सचिव।

संख्या-351 /2015/2268(1)/38-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार ½लेखा एवं हकदारी½-2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ ।
(3) महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बक्शी का तालाब, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारी को दिनांक 28.09.2015 से 11.11.2015 तक आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
(4) सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रशिक्षण हेतु संस्थान पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
(5) श्री कुलदीप सिंह चन्देल, बी-8, विकास निवास, गुलशन पार्क, बन्नादेवी, अलीगढ़, उ0प्र0
(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in